

**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 203 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रूचिता तिवारी, स0अ0, गणित	19.05.2017	आर्य श्यामा बालिका इण्टर कालेज इटावा	महारानी राजाराम बालिका विद्यालय हायर सेकेन्ड्री स्कूल दर्शनपुरवा कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3466-75 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

201 / 2024-25 दिनांक 28 जून, 2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री प्रदीप कुमार, स0अ0-गणित,	15.11.2021	जनता इण्टर कालेज बिरुहुनी औरया	नगर पालिका इण्टर कालेज औरैया	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3446-55 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

202

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अमलेश चन्द्र सेठ, स0अ0-कला	04.08.2017	ग्राम समाज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लोधा अलीगढ़	से डा0 चिरंजीलाल राष्ट्रीय इण्टर कालेज किदवई नगर कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

3456 - 65

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।



(रामचैत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,  
प्रयागराज।

**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 209 /2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती कामिनी सिंह, स0अ0-अग्रेजी	01.12.2021	चन्द्रकुमारी ज्वाला शंकर रायजादा बालिका इण्टर कालेज शमसाबाद फर्रुखाबाद	श्रीमती माया देवी बालिका इण्टर कालेज गोविन्द नगर कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3526-35 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापत्रिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(संमचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 208 /2024-25 दिनांक 28 - जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री रामाधार, स0अ0, कृषि	25-01-07	हिन्दू विद्यालय इण्टर कालेज जसवन्त नगर इटावा.	डा0 चिरंजीलाल राष्ट्रीय इण्टर कालेज किदवई नगर कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
**अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)**  
**उत्तर प्रदेश।**

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3516 - 25 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूघनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
 (समचेत)  
 उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
 शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
 प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 207 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सन्दीप सिंह, स0अ0 विज्ञान	03.02.2021	जनता इण्टर कालेज मनीपुर असरोई अलीगढ़	शिवनाथ शिवदास मौर्या इण्टर कालेज मौर्यपुरी सरसौल कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3506-15 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(समचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 200 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती शैल प्रभा स03A0 हिन्दी	16-12-21	जे0पी0 गर्ल्स इण्टर कालेज कन्नौज	कानपुर विद्यामंदिर महिला इण्टर कालेज स्वरूप नगर कानपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3436-45 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।



(रामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 216 /2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती चंचल कटियार स0अ0 विज्ञान	17-05-17	महारानी लक्ष्मीबाई कन्या इण्टर कालेज नगर पालिका परिषद, एटा	कानपुर विद्या मंदिर महिला इण्टर कालेज स्वरूप नगर, कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
**अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)**  
**उत्तर प्रदेश।**

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3596-3605 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।



(समवेत)

**उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)**  
**शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,**  
**प्रयागराज।**



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 215 /2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती किरन सिंह सागर प्रवक्ता-नागरिक शास्त्र	06.04.2017	किशोरी रमण गर्ल्स इण्टर कालेज मथुरा	बाबा हरिपुरी इण्टर कालेज कसावा कन्नौज	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
**अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)**  
**उत्तर प्रदेश।**

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3586-45 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(प्रमचैत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 214 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती वीनू त्रिपाठी, स0अ0, अग्रेजी	08.12.2010	एस0वी0 इण्टर कालेज पौथिया, हमीरपुर	श्रीमती माया देवी बालिका इण्टर कालेज गोविन्द नगर कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3576-85 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 20 6 /2024-25 दिनांक 2 6 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विजय कुमार स0अ0, गणित	09-08-19	आर0बी0एस0 इण्टर कालेज बिहार उन्नाव	सेठ वासुदेव सहाय इण्टर कालेज कन्नौज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3 4 9 6 - 3 5 0 5 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 213 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सर्वेश कुमार दूबे-प्रवक्ता गणित	28.07.2020	श्री गांधी विद्या मंदिर इण्टर कालेज फतेहपुर, कासागंज	श्री बिहारी जी इण्टर कालेज अहेरीपुर, इटावा	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3566-75 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्थ होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्थ थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।



(रामचैत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 212 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री प्रमोद कुमार, स0अ0 सामाजिक विज्ञान	08-12-2010	सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कालेज, सिकंदरा, कानपुर देहात	गुरु नारायण खत्री इण्टर कालेज, सिविल लाइन्स, कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
**अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)**  
**उत्तर प्रदेश।**

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3556-65 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 199 /2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती शशि प्रभा प्रवक्ता-हिन्दी	22-09-2023	श्री दयानन्द इण्टर कालेज अमृतपुर फर्रुखाबाद	राष्ट्रीय विद्या मंदिर इण्टर कालेज अकबरपुर कन्नौज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3426-35 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचैत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 19 B /2024-25 दिनांक 2 B जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री मनोज कुमार साहू प्रवक्ता-गणित	11-08-2020	कुलभास्कर आश्रम कृषि इण्टर कालेज प्रयागराज	भास्करानन्द इण्टर कालेज नर्वल कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3416-25 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(समवेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 197 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
चन्द्र प्रताप सिंह, स0अ0, विज्ञान	17-08-2017	लोक राष्ट्रीय इण्टर कालेज जसराना फिरोजाबाद	सेठ कन्हैयालाल रामशरण रस्तोगी इण्टर कालेज फर्रुखाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3406-15 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजीका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(सामवेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 196 /2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अनिल कुमार स0अ0,जीव विज्ञान	20-12-21	डी0ए0वी0 इण्टर कालेज ऊन शामिली	शिवनाथ शिवदास मौर्य इण्टर कालेज मौर्यपुरी सरसौल कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3396-3405 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(समचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

164

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री कुलदीप सिंह S030, विज्ञान	26.09.2012	सुभाष इण्टर कालेज नेरा, कन्नौज	राष्ट्रीय विद्यामंदिर इण्टर कालेज अकबरपुर कन्नौज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3076-85 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 195 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री गौरव कुमार, स0अ0,शारीरिक शिक्षा	13-11-2021	स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज सहार, औरैया	बाबा हरिपुरी इण्टर कालेज कसावा कन्नौज	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
**अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)**  
**उत्तर प्रदेश।**

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3386-95 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजीका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचना प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

**उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)**  
**शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,**  
**प्रयागराज।**



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

191

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री जितेन्द्र कुमार, स0अ0-सामाजिक विज्ञान	02.02.2011	सनातन धर्म इण्टर कालेज हसनपुर मैनपुरी	कर्म क्षेत्र इण्टर कालेज इटावा	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3346-55

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

166

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री इन्द्रेश गौतम, प्रवक्ता अग्रेजी	25.07.2006	सुखपुरा इण्टर कालेज सुखपुरा बलिया	श्री बिहारी जी इण्टर कालेज अहेरीपुर, इटावा	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3096-3165

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 190 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(160)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में आशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सामुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	निगुवित तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री शिवम यादव, स0अ0, विज्ञान	02-02-21	गोरवागी तुलसीदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डड़वाघाट सिद्धार्थनगर	प्रकाश इण्टर कालेज भरथना इटवा	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 323645 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजीका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से शौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।



(रामचैत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

172

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सूर्यवीर सिंह, स0अ0 विज्ञान,	23.03.2012	एस0एन0 इण्टर कालेज इन्दौरपुर अम्बेडकरनगर	भास्करानन्द इण्टर कालेज नर्वल कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3156-65

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 171 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती अन्जली तिवारी, स0अ0 हिन्दी	25-12-2021	श्री अयोध्या सिंह सार्वजनिक इण्टर कालेज काशीपुर कानपुर देहात	पूर्णा देवी खन्ना गर्ल्स इण्टर कालेज अशोक नगर कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3146-55 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापत्रिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
 आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 178 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथार्थोध्दन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-040/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री जय प्रकाश गौतम, सोअ०, कृषि	05-05-2012	कान्ति नायक धनसिंह कोतवाल इण्टर कालेज पांचली खुर्द मेरठ	पटेल विद्यापीठ इण्टर कालेज बरौर कानपुर देहात	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
 अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
 उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3136-45 /2024-25 तददिनांक।  
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापत्रिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से श्रौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
 (रामचेत)  
 उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)  
 शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,  
 प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 1 6 9 /2024-25 दिनांक 2 8 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (गणारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शारणादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सहायक गणित	05-08-20	किसान इण्टर कालेज परशुरामपुर बस्ती	जनता इण्टर कालेज शिमरिया कन्नौज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 312 6-35 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापत्रिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(प्रमचेल)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय / 10. १ / 2024-25 दिनांक 30 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अजिमेय, 1021 (गणानुसंधान) में विहित व्यवस्था पूर्व शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1000(100)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें वित्तीय व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से पदपूर्ति स्थानान्तरित किया जाता है-


नाम/पदनाम	निशुचित तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती मालती यादव, सहायक गृह विज्ञान	12-09-2023	तिलक इण्टर कालेज कनौली कौशाबी	श्री मुलायम सिंह यादव इण्टर कालेज रायनगर गिलौई इटावा	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।**

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय / 3116-25 / 2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजीका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अनिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचैत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

167

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री गम्भीर सिंह, स0अ0, गणित	04-05-2012	श्री लाल बहादुर शास्त्री इण्टर कालेज चायल कौशाम्बी	नगर पालिका इण्टर कालेज औरैया	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3106-15

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापत्रिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 195 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-040/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में आशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती अल्का यादव, स030,हिन्दी	04-06-2021	श्री शिव इण्टर कालेज टिड्डुआ याकूवपुर औरैया	श्री जनता इण्टर कालेज अजीतमल औरैया	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3276-85 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रवन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रवन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(प्रमचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**  
 आवेश संख्या सामान्य(1)पुलीम / 1 व 2 / 2024-25 दिनांक 3 द् मून 2024

**स्थानान्तरण आवेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (विद्यार्थशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनानुदेश संख्या 180/18 द् 2024 (180/180) / 2024 दिनांक 12 मून 2024 द्वारा प्रधान जी मजी अनुमति के क्रम में आशाशरीर शासकता प्राप्त उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालय इम्पल्स कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रभक्ता/सहायक द्वारा प्रस्तुत आवेदन मत्र के आधार पर रिक्त मत्र के प्रति चन्हे जिन्नी व्यय पर चन्के चाग के सम्मुख स्तम्भ-3 में अतिरिक्त विद्यालय में तत्काल प्रभाव से प्रस्तुत संस्थान्तरित किया जाता है-


चाग/प्रभक्ता	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अनुमति
1	2	3	4	5
श्रीमती मजया तिवेदी शासकता	19.05.2017	औपचारिकता द्वारा सैक्रेट्री सोमेश पुट	सरकारी बालिका विद्यालय इम्पल्स कालेज विजय नगर कागपुर नगर	रिक्त मत्र के प्रति

**शुभेन् कुमार तिवारी**  
 अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
 उत्तर प्रदेश।

पुनर्वाकन संख्या सामान्य(1)पुलीम / 1 व 2 / 2024-25 दिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को इस निदेश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रभक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यभार ग्रहण स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यभार/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत ही प्राप्त। स्थानान्तरित प्रधान/प्रभक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापत्रिका अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रभक्ता/प्रधानाचार्य को मंजीकृत आक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं माध्यमिक संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रभक्ता/सहायक अध्यापक को तारी लागू अनुमति होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमति थे। अति प्रकरण में कोई भी मध्य मीपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आवेश रुक: निरस्त प्रमथा जाएगा तथा संबंधित के निरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाएगी-

- 1- मैगविद्यक शासक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 मार्क शीख, लखनऊ को सूचनाई प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निदेश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि चन्के स्थानान्तरित प्रधान/प्रभक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र चन्के द्वारा संस्तुत है। चन्केनुसार अगिदर विधिक कार्यवाही हेतु आपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करणा सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निदेश के साथ प्रेषित कि चन्के स्थानान्तरण आवेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से करारी जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से मौखिक सत्यापन करारी जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रभक्ता/सहायक अध्यापक के निषम में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आवेश निर्गत है तथा भविष्यमें सही एवं विधिक है, तदीपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रभक्ता/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रभक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड फतामही।

  
 (समर्थित)  
 उप शिक्षा निदेशक(भा-3)  
 शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,  
 प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 183 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
कु0 शिखा दुबे प्रवक्ता-कृषि	01-12-2021	क्षेत्रीय इण्टर कालेज सिरसागंज फिरोजाबाद	श्री रामस्वरूप ग्राम उद्योग इण्टर कालेज पुखराया कानपुर देहात	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3266-75 /2024-25 तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।



(रामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 163 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सीमा तिवारी, स030, अंग्रेजी	17.12.2011	श्री गंगा सहाय कन्या इण्टर कालेज मैनपुरी	मदन मोहन कानोडिया बालिका इण्टर कालेज फर्रुखाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3066-75 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजीका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(समचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 102 /2024-25 दिनांक 20 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सौरभ कुमार सिंह स0अ0, जीवविज्ञान	11-10-2022	सरदार पटेल इण्टर कालेज कोलना बुनार मीरजापुर	डा0 चिरंजीलाल राष्ट्रीय इण्टर कालेज किदवई नगर कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3256-65 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
 (सम्बन्धित)  
 उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
 शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
 प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 193 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शारानादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती वर्षा महेन्द्र, स0अ0, गणित	19.05.2017	जे0आर0 अग्रवाल इण्टर कालेज मुरादाबाद	डी0ए0वी0 इण्टर कालेज सिविल लाइन्स कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांक संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3366-75 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(समर्पित)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 181 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
कु0 अर्चना मिश्रा, स0अ0/गृह विज्ञान	19.08.2019	सेठ हरचनदास गर्ल्स इण्टर कालेज हाथरस	मदन मोहन कानोडिया बालिका इण्टर कालेज फर्रुखाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3246-55 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजीक, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 123 /2024-25 दिनांक 2 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश  
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(160)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुपति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उनके निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख रतम्ब-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अभिलेख दूवे स0310 जीव विज्ञान	27-12-2021	नेशनल इण्टर कालेज भोगांव मैनपुरी	सनातन धर्म इण्टर कालेज इटावा	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2666 - 75 /2024-25 तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(प्रमर्चेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 129 /2024-25 दिनांक 29 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
डा० आशीष कुमार मिश्रा,स०अ०, गणित	03-08-2019	हरिराम ओंकार मल्ल खेतान इण्टर कालेज लक्ष्मीगंज कुशीनगर	श्री तारा चन्द्र इण्टर कालेज शिवली कानपुर देहात	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2676-85 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा०-३)  
शिक्षा निदेशालय,उ०प्र०,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 125 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
डा० शिव सिंह कुशवाहा, प्रवक्ता-हिन्दी	14-12-2010	श्री आर०आर०एम० इण्टर कालेज बछगांव, फिरोजाबाद	सेठ बासुदेव सहाय इण्टर कालेज कन्नौज	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
**अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)**  
**उत्तर प्रदेश।**

पृष्ठांक संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2886-95 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा०-३)  
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 127 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री मयंक कुमार,रा0अ0 समाजिक विज्ञान	01.08.2013	श्री रामस्वरूप शहीद इण्टर कालेज मेरापुर फर्रुखाबाद	सरयू नारायण बाल विद्यालय इण्टर कालेज, अज्जादनगर कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2706-15 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।



(समचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 12 ९ /2024-25 दिनांक 2 ९ जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अतुल कुमार, स0अ0, गणित	03-01-2022	किसान आर्दश इण्टर कालेज, बेलवा, महाराजगंज	श्री जवाहर लाल नेहरू इण्टर कालेज बुआपुर इकदिल, इटावा	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
**अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)**  
**उत्तर प्रदेश।**

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2716-25 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य ।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(समचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 129 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री ब्रह्म दत्त यादव स0अ0 कला	20-05-2017	फैज-ए-आम, इण्टर कालेज राठ हमीरपुर	मनभावति कुंवरि जनसहयोगी इण्टर कालेज बसरेहर, इटावा	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
**अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)**  
**उत्तर प्रदेश।**

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2726-35 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।



(समचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 13, 0 /2024-25 दिनांक 20 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री चन्द्रपाल सिंह, स0अ0 गणित	01-10-2019	बापू शताब्दी इण्टर कालेज जहदा, महाराजगंज	मनभावति कुंवरि जनसहयोगी इण्टर कालेज बसरेहर, इटावा	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2736-45 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूधनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 194 /2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती अर्चना गिरि, स0अ0, गृह विज्ञान	25.11.2021	श्री अयोध्या सिंह सार्वजनिक इण्टर कालेज काशीपुर कानपुर देहात	श्री कैलाश नाथ बालिका विद्यालय इण्टर कालेज कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3376-85 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनाई प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

131

/2024-25 दिनांक 5 8 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (संशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री ओम शंकर त्रिवेदी, स0अ0, शा0शि0	27-10-2018	जनता विद्यालय इण्टर कालेज, बरौनाकला, औरैया	रोड बासुदेव सहाय, इण्टर कालेज, कन्नौज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2746-55

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापत्रिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 132 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024  
**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री पवन कुमार चतुर्वेदी, स0अ0, शा0शि0	20-12-21	एस0ए0वी0 इण्टर कालेज, भरथना, इटावा	श्री मारवाड़ी विद्यालय इण्टर कालेज, नयागंज, कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
**अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)**  
**उत्तर प्रदेश।**

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2756-65 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापत्रिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
**(प्रमोद)**  
**उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)**  
**शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,**  
**प्रयागराज।**



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 133 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शारानादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री प्रवीण कुमार झा, प्रवक्ता अर्थशास्त्र	25-11-2021	श्री गांधी इण्टर कालेज एरवा कटरा, औरैया	श्री मारवाड़ी विद्यालय इण्टर कालेज, नयागंज, कानपुर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2766-75 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

134

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री पंकज सिंह, स0अ0, विज्ञान	22-02-2021	पीपुल्स इण्टर कालेज डुमरियागंज सिद्धार्थनगर	महात्मा गांधी महाविद्यालय हा0से0 स्कूल, चिल्लौली, कानपुर देहात	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
**अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)**  
**उत्तर प्रदेश।**

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2778-85

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(प्रमचेत)

**उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)**  
**शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,**  
**प्रयागराज।**



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 125 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (संशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती अंशुल, रा0अ0, गणित	19-08-2020	पीपुल्स इण्टर कालेज डुगरियागंज सिद्धार्थनगर	ले0 कर्नल, शिवनाथ सिंह क्षे0वि0 इण्टर कालेज, रंजीतपुर भाऊपुर, कानपुर देहात	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांक संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2786-95 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजीक, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।



(प्रमचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 136

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती गरिमा मिश्रा, स0अ0,	12-04-2016	नेहरू इण्टर कालेज औरैया	माँ कस्तूरबा गर्ल्स इण्टर कालेज, ईदगाह कालोनी कानपुरनगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2796-2605

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 137 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अभय दत्त शुक्ला, स0अ0, अंग्रजी	19-08-2020	विमला देवी बृजमोहन सिंह इण्टर कालेज सराय प्रयाग, कन्नौज	के0एस0 हायर सेकन्ड्री स्कूल, मकरन्दनगर, कन्नौज	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
**अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)**  
**उत्तर प्रदेश।**

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2806 - 2815 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।



(रामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 138 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री भुवनेश कुमार मथुरिया, प्रवक्ता-नागरिक शास्त्र	09-01-2017	श्री हुबलाल इण्टर कालेज देढा उन्नाव	डा0 शिवनन्दन सिंह इण्टर कालेज, खिमसेपुर फर्रुखाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2816-2825 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचैत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 139

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री आकाश बाबू, स0अ0, जीव विज्ञान	21-09-2023	सर्वोदय इण्टर कालेज,असोथर, फतेहपुर	सेठ बासुदेव सहाय, इण्टर कालेज कन्नौज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2826 - 2835

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापत्रिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचित)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 140 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री करतार सिंह, स0अ0, विज्ञान	25-10-2022	श्री कृष्ण इण्टर कालेज, साहबरामपुर, बघेरा, करहल, मैनपुरी	मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज गुरुसहायगंज कन्नौज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 28 36-2845

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।



(सम्बन्धित)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

192

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती पूर्णिमा मिश्रा, स0अ0 कला	13.05.2017	अकबरपुर इण्टर कालेज अकबरपुर कानपुर देहात	ज्ञान भारती एम0एस0 इण्टर कालेज बिरहाना रोड कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3356-65 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समर्थित)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 141

/2024-25 दिनांक 22 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (ग्यारहवाँ अध्याय) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से पदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राकेश कुमार, स0अ0, गणित	20-08-2019	दक्ष आदर्श वैदिक इण्टर कालेज शेरकोट विजौरी	रोड बासुदेव सहाय इण्टर कालेज कन्गीज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2846-2855 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजीका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्ण संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

108

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (ग्यारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अनुज कुमार अग्निहोत्री, स0अ0-गणित,	08.05.2017	जनता इण्टर कालेज वरौना कला, औरैया	श्री राम स्वरूप ग्राम उद्योग इण्टर कालेज पुखरायी कानपुर देहात	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2515-25

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 109 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री बृजेन्द्र कुमार यादव, स0अ0-शारीरिक	02.09.2019	शिक्षा, रघुवीर सहाय इण्टर कालेज अलीगढ़	महेश मेहर प्रसाद इण्टर कालेज सत्तीचौरा कैण्ट, कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2526-35 /2024-25 तददिनांक।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।  
5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।  
6- गार्ड पत्रावली।

  
(शमचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 110 /2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अशोक कुमार, प्रवक्ता-हिन्दी,	01.03.2019	जनता इण्टर कालेज अवागढ़, एटा	महेश मेहर प्रसाद इण्टर कालेज सत्तीचौरा कैण्ट, कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2536-45 /2024-25 तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

111

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अनिल कुमार शुक्ला, स0अ0-गणित,	28.04.2011	आदर्श उ0मा0वि0 रमायन भरथना, इटावा	बी0पी0एम0जी0 इण्टर कालेज मन्धना, कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।**

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2546-55 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजीका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य ।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(प्रमधेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

112

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती कान्ता गुप्ता, स0अ0-हिन्दी,	24.03.2021	चिरंजीलाल बालिका इण्टर कालेज, अलीगढ़	कानपुर कन्या महाविद्यालय इण्टर कालेज किदवईनगर, कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2556-65 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 113 /2024-25 दिनांक 20 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**


उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती मेघा पाण्डेय, स0310-संगीत गायन,	22.11.2021	श्री शीतला प्रसाद शोरावाल बालिका इण्टर कालेज इटावा	नारायण आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कालेज, फर्रुखाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2566-75 /2024-25 तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 114 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती शिखा प्रकाश, स0अ0-गृह विज्ञान,	23.11.2021	श्री शंकर इण्टर कालेज सुजौर कानपुर देहात	श्री रामस्वरूप ग्राम उद्योग इण्टर कालेज पुखराया, कानपुर देहात	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2576-85 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(श्यामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

115

/2024-25 दिनांक

26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती एकता शुक्ला, प्रवक्ता-गणित,	11.08.2020	चिरंजीलाल बालिका इण्टर कालेज अलीगढ़	श्री मारवाड़ी विद्यालय इण्टर कालेज नयागंज, कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2586-95

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापत्रिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।



(समवेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

116

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अमित कुमार कटियार, स0अ0-गणित,	16.05.2017	श्री जवाहर लाल नेहरू इण्टर कालेज बुआपुर, इटावा	श्री रामलला उ0मा0वि0 रावतपुर, कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांक संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2596 -2605 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 126 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती आरती देवी, स0अ0-कला,	20.08.2018	हिन्दू कन्या पाठशाला इं0का0 सीतापुर	कानपुर कन्या महाविद्यालय इं0का0 किदवई नगर, कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3296-3305 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 178 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री नितिन गुप्ता, स0अ0-विज्ञान,	13.09.2021	किसान इण्टर कालेज भाग्यनगर, औरैया	चौ0 विशम्भर सिंह भारतीय विद्यालय इ0का0 औरैया	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3216-25 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापत्रिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(समचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

117 /2024-25 दिनांक 22 जून, 2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शारानादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में आशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सोनिया अग्निहोत्री, स0310-जीव विज्ञान,	23.09.2020	श्री राधिवदानन्द जनसहायोगी इण्टर कालेज लहरापुर, औरैया	वी0एस10एस10 इण्टर कालेज काकादेव कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2606-15 /2024-25 तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक  
अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।  
कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित  
प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक  
अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें  
तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित  
प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में  
कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा  
तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचना  
प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि  
कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा  
संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना  
सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का  
सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय  
प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय  
में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों  
सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 118 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री भोला सिंह, स०अ०, कला	01.01.2006	श्री लालमणि इण्टर कालेज रेउना, कानपुर नगर	चाचा नेहरू इण्टर कालेज मझावन, कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 26/6-25 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(सामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा०-३)  
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

119

/2024-25 दिनांक

2

8 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती पूनम देवी दुबे, स0अ0-अंग्रेजी,	18.02.2021	इण्टरमीडिएट कालेज तुर्कपट्टी महुआवां, कुशीनगर	पं0 रामकुमार ग्राम्य विद्यापीठ इण्टर कालेज चौबेपुर, कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**

**अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)**

**उत्तर प्रदेश।**

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2626-35

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 120 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती नसरिन, स0अ0-गणित,	24.08.2020	बालिका इण्टर कालेज शाहगंज, जौनपुर	शिवनाथ शिवदास मौर्य इण्टर कालेज मौर्यपुरी सरसौल, कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2636-45 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।



(रामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

177

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती वसुधा तिवारी स0अ0-गणित,	01.09.2020	सुशीला देवी गर्ल्स इण्टर कालेज कन्नौज	नारायण आर्य कन्या पाठशाला इ0का0 लोहाई रोड, फर्रुखाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

3206-15

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(प्रमर्चेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 176 /2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री कुनेन्द्र पाल सिंह, स0अ0 जीव विज्ञान,	18.09.2023	अशोक गंगवार मेमोरियल इण्टर कालेज ताहपुर, कन्नौज	राजाराम इण्टर कालेज अचरा खिलवारा, फर्रुखाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3196-3 205 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,  
प्रयागराज।

कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 175 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती प्रियंका, स0अ0-गणित,	11.08.2020	यदुनाथ इण्टर कालेज बहादुरपुर, आजमगढ़	सुशीला देवी गर्ल्स इण्टर कालेज कन्नौज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3186-95 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 174 /2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विनय कान्त सिंह, प्रवक्ता-नागरिक शास्त्र,	01.12.2010	श्री गांधी इण्टर कालेज खड्डा, कुशीनगर	श्री आर0 पी0एस0 इण्टर कालेज रूरा, कानपुर देहात	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3176-85 /2024-25 तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक  
अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।  
कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित  
प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक  
अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें  
तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित  
प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में  
कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा  
तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(समचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।

**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 173 /2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री दीपक रस्तोगी, स0अ0-गणित,	21.02.2011	श्री भगवान बक्श सिंह इंटर कालेज वाजितपुर, उन्नाव	जी0 एन0 के0 इण्टर कालेज सिविल लाइंस, कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3166-75 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।



(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 121 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रीमा, स0अ0-गृह विज्ञान	20.05.2022	महात्मा गांधी बालिका इण्टर कालेज फिरोजाबाद	चाचा नेहरू बालिका इण्टर कालेज दामोदर नगर, कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
**अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)**  
**उत्तर प्रदेश।**

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2846-55 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 122

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री देवेन्द्र सिंह, स0अ0-सामाजिक विज्ञान,	09.07.2015	पं0 देवदत्त शर्मा जनता इण्टर कालेज बरखेड़ा, पीलीभीत	श्री राजेन्द्र सिंह इण्टर कालेज नवाबगंज फर्रुखाबाद	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2656-65

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 142 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अजय कुमार, स0अ0 गणित	14-08-2020	गाँधी आदर्श विद्यालय इण्टर कालेज, बढ़नी सिद्धार्थनगर	श्री गाँधी विद्यालय इण्टर कालेज, झींझक, कानपुर देहात	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2856-2865 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 145 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री संजीव श्रीवास्तव स0अ0	18.08.2010	नवजीवन इण्टर कालेज बहसूमा मेरठ	सी0पी0 के0यू0 इण्टर कालेज मूसानगर कानपुर देहात	प्रीती चौधरी के स्थानान्तरण से फलित रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।**

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2686-95 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अनिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
 (रामचैत)  
 उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
 शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
 प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 287 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती प्रीति चौधरी, स0अ0	29.11.2021	सी0पी0के0यू इण्टर कालेज मूसानगर कानपुर देहात	नवजीवन इण्टर कालेज बहसूमा मेरठ	श्री संजीव श्रीवास्तव के स्थानान्तरण से फलित रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 4306-15 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

190

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री आशुतोष शुक्ला, स0अ0	04.02.2021	श्री रणजीत पण्डित इण्टर कालेज, शहजादपुर, कौशाम्बी	नगर पालिका इण्टर कालेज औरैया	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांक संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

3336-45

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

189

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अजीत कुमार सिंह, स030 गाणित	25.11.2021	जनता इण्टर कालेज पुरैनी परसिया देवरिया	राम सहाय इण्टर कालेज बैरी शिवराजपुर कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
**अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)**  
**उत्तर प्रदेश।**

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2326-35

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 143 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राघवेंद्र सिंह पाल, प्रवक्ता-इतिहास	14-08-2020	जनता इण्टर कालेज दानपुर बुलन्दशहर	बाबा रघुनन्दन दास इण्टर कालेज, बिल्हौर कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2866-2875 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

144

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुधीर कुमार प्रवक्ता अंग्रेजी	17.12.2016	श्री जे0पी0 शर्मा इण्टर कालेज बबेरू बांदा	बिल्हौर इण्टर कालेज बिल्हौर कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2676-85

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 146 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री आदित्य कुमार अवस्थी 30310	07.08.2020	श्री विशेश्वर दयाल तिवारी इण्टर कालेज, जलालबाद कन्नौज	श्री पथिक शिक्षा परिषद इण्टर कालेज साढ़, कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
**अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)**  
**उत्तर प्रदेश।**

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2896-2905 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापत्रिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
**(रामचैत)**  
**उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)**  
**शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,**  
**प्रयागराज।**



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 147 /2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती मीरा कटियार स0अ0 अंग्रेजी	19-07-2017	श्रीमती भगवान देवी कन्या इण्टर कालेज फतेहाबाद आगरा	विमला देवी बृजमोहन सिंह इण्टर कालेज सराय प्रयाग कन्नौज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांक संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2906-15 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 148 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
डा0 दिव्या मिश्रा प्रवक्ता संस्कृत	17-11-2021	कर्मल ब्रम्हनन्द इण्टर कालेज शुक्रुल्लापुर, फर्रुखाबाद	का भास्करानन्द इण्टर कालेज नर्वल कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2916-25 /2024-25 तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 1 १, १ /2024-25 दिनांक ११ जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथाराशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती संध्या कटियार प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र	11.12.2021	आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कालेज हरदोई	ज्ञान भारती एम0एस0 इण्टर कालेज विरहाना रोड कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3316-25 /2024-25 तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 थार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 107 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री ज्ञानेन्द्र कुमार त्रिपाठी स0अ0 अंग्रेजी	04.02.2021	महात्मा गाँधी इण्टर कालेज मण्डावर बिजनौर	क्षेत्रीय इण्टर कालेज फतेहपुर रोशनार्ई कानपुर देहात	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3306-15 /2024-25 तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- गार्ड पत्रावली।

  
(समचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 185 /2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री डिटी लाल कमल प्रवक्ता- अर्थशास्त्र	29.11.2016	जनता इण्टर कालेज फलावदा मेरठ	श्री ताराचन्द्र इण्टर कालेज शिवली कानपुर देहात में	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3286-95 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ ४९ /2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**


उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारसंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती सीमा यादव, स0अ0 जीव विज्ञान	29.06.2016	जे0आर0अग्रवाल कन्या इण्टर कालेज मुरादाबाद	मनभावति कुंवरि जन सहयोगी इण्टर कालेज बसरहर इटावा	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2926-35 /2024-25 तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

150

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सूर्य सिंह, प्रवक्ता जीव विज्ञान	01.08.2012	श्री लक्ष्मणदास दमले इण्टर कालेज मऊरानीपुर झाँसी	सेठ वासुदेव सहाय इण्टर कालेज कन्नौज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2936-45

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

151

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारांशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
सुश्री रानी देवी, स030, कला,	09.08.2019	बाबू सिंह स्मारक इण्टर कालेज पमनावली मुजफ्फनगर	शिवनाथ शिवदास मौर्या इण्टर कालेज मौर्यपुरी सरसौल कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**

**अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)**

**उत्तर प्रदेश।**

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

29 46-55

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(प्रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)

शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,

प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2-11

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अनिल कुमार स0अ0, अंग्रेजी	06.08.2019	जनसेवक आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ा कायमगंज फर्रुखाबाद	जनता इण्टर कालेज नुनारी पूर्वा सुजान औरैया	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3546-55 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 152 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री राम मोहन स0आ0, हिन्दी	20.05.2021	विवेकानन्द इण्टर कालेज नरैनी बॉदा	डा0 चिरंजीलाल राष्ट्रीय इण्टर कालेज किदवई नगर कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2956-65 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।

5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।

6- गार्ड पत्रावली।

(प्रमर्षित)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

210

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री देवेश प्रताप सिंह स0अ0 जीव विज्ञान	12.11.2021	श्री अन्नपूर्णा इण्टर कालेज गुरवलिया कुशीनगर	श्री राम जानकी इण्टर कालेज बिठूर कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3536-45 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 153 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
कु0 अनुशिका गुप्ता स0अ0, व्यायाम	06.012.2021	कन्या विद्यापीठ इण्टर कालेज कायमगंज फर्रुखाबाद	एस0एन0सेन बालिका विद्यालय इण्टर कालेज मालरोड कानपुर	रिक्त पद के प्रति

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
**अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)**  
**उत्तर प्रदेश।**

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2966-75 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(समचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

154

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती पूनम देवी स0अ0,हिन्दी	25.11.2021	जन शिक्षण इं0 का0 प्रेमपुर बड़ागांव, कानपुर नगर	वी0पी0एम0जी0 इण्टर कालेज मन्धना कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

2976-85

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 155 /2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती पूनम गुप्ता स0अ0 गृह विज्ञान	12.04.2017	आदर्श जनता इण्टर कालेज रूपधनी एटा	नारी कल्याण गर्ल्स इण्टर कालेज अर्मापुर कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2986-95 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 156 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**


उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री वीरसैन सिंह, स0अ0 गणित	01.07.2019	बी0एस0टी0 इण्टर कालेज नगला तोमर बलरई, इटावा	इण्टर कालेज एलम शामली	श्री अनुराग शर्मा के स्थानान्तरण से फलित रिक्त पद के प्रति।

**सुरेन्द्र कुमार तिवारी**  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2996-3005 /2024-25 तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचैत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

286

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अनुराग शर्मा, स0अ0 गणित	14.08.2019	इण्टर कालेज एलम, शामली	बी0एस0टी0 इण्टर कालेज नगला तोमर बलरई इटावा	श्री वीर सैन सिंह के स्थानान्तरण से फलित रिक्त पद के प्रति।


सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

4296 - 4305/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचैत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री मुकेश कुमार, स0अ0 अंग्रेजी	23-11-2021	आर0बी0एस0 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कर्हिंजरी, कानपुर देहात	श्री राम जानकी इण्टर कालेज बिठूर कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3476-85 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक हैं, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 205 /2024-25 दिनांक 20 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती रश्मि सिंह गौतम, स0अ0 गृह विज्ञान	06-08-2010	श्री जन सहयोगी इण्टर कालेज अमावता औरैया	श्रीमती जमुना देवी बालिका विद्यालय इण्टर कालेज कृष्णा नगर कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3426-95 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(समचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 179 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती शिवा पाण्डेय प्रवक्ता हिन्दी	01.09.2005	कमला बालिका इण्टर कालेज खागा फतेहपुर	जी0एन0के0 इण्टर कालेज सिविल लाइन्स कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3226-35 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

157

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री गोपाल कृष्ण अग्निहोत्री स0अ0, संस्कृत	15.07.2017	जनता विद्यालय इण्टर कालेज बरौनाकला औरैया	श्री यू0एन0 सिंह इण्टर कालेज जिन्दौरा कानपुर देहात	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3006-15 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य ।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

158

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री नियोजुर रहमान, स0अ0, गणित	15.09.2023	श्री शंकर कृषक समाज इण्टर कालेज पुकारी बाँदा	श्री मथुरा प्रसाद आदर्श इण्टर कालेज खाईपुर घाटमपुर कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

3016-25

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचैत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)

शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,

प्रयागराज।

Scanned with CamScanner



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 159 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-


नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री वीर प्रताप सिंह स0अ0 गणित	18.10.2029	के0एच0आर0आर0 इण्टर खामपुर लुहारी बागपत	श्री बिहारी जी इण्टर कालेज अहेरीपुर, इटावा	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 8026-35 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(रामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 160 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती अपर्णा त्रिवेदी स0अ0 अग्रेजी	22.11.2021	अकबरपुर इण्टर कालेज अकबरपुर कानपुर देहात	जी0एन0के0 इण्टर कालेज सिविल लाइन्स कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3036-45 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(सामचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 161 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
कु0 मीनाक्षी गुप्ता प्रवक्ता अंगेजी	18.11.2021	नगर पालिका कन्या इण्टर कालेज नबावगंज गोण्डा	ज्वाला देवी विद्या मन्दिर इण्टर कालेज आनन्द बाग कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3046-55 /2024-25 तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 162 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री नितिन कटियार स0अ0	14.08.2020	एस0बी0एस0 इण्टर कालेज शकरौली एटा	श्री मालवीय इण्टर कालेज मुगीशाहपुर, नन्दपुर कानपुर देहात	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3056-65 /2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण आदेश निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

217

/2024-25 दिनांक 2-6

जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री शान्तिभूषण यादव, स0अ0-जीव विज्ञान	01.07.2017	ब्रम्हविज्ञान इण्टर कालेज अतर्रा बांदा	श्री मारवाड़ी विद्यालय इण्टर कालेज नयागंज कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

3606-15

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

( रामचैत )

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

218

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अनुराग द्विवेदी, स0अ0-गणित	27.09.2023	श्री गांधी इण्टर कालेज ढोटारी गाजीपुर	श्री आदर्श इण्टर कालेज ठटिया कन्नौज	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3616-25

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

219  
स्थानान्तरण आदेश

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती संतोष शुक्ला, स0अ0-हिन्दी	03.11.2021	महर्षि निशंक इण्टर कालेज नवादा कन्नौज	जी0एन0के0 इण्टर कालेज सिविल लाइन्स कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

3626-35

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

220

/2024-25 दिनांक 28

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री सुनील कुमार, स0अ0-गणित	15.05.2017	श्री गांधी इण्टर कालेज गोहान हमीरपुर	चाचा नेहरू इण्टर कालेज मझावन कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

3636-45

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)

शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,

प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 221

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री अजय कुमार शर्मा, प्रधानाध्यापक	06.12.2022	बी0एस0टी0 इण्टर कालेज नंगला तोमर इटावा	स्व0गयाप्रसाद वर्मा स्मारक कृषक इं0का0 बिजपुरी खेड़ा, इटावा	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3646 - 3655

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

( रामचैत )

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ २२२ /2024-25 दिनांक २८ जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, स0अ0-विज्ञान	03.05.2012	भगवती प्रसाद ओमर बा0इ0का0 बांदा	सरस्वती बालिका विद्यालय इं0का0 विजय नगर, कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3656-3665

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ ११३ /2024-25 दिनांक २४ जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री विजय किशोर यादव, स0अ0-शा0शिक्षा	01.12.2021	बालगोविन्द सार्वजनिक इ0का0 प्रयागपुर कानपुर देहात	डॉ0 चिरंजी लाल राष्ट्रीय इ0का0 किदवई नगर, कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3666-3675

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ २२५

/2024-25 दिनांक १४ जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती उर्वशी द्विवेदी, स0अ0-शारीरिक शिक्षा	06.12.2021	महिला ग्राम इण्टर कालेज सूबेदारगंज प्रयागराज	सरस्वती बालिका इण्टर कालेज विजय नगर कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3676-3685

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।



( रामचेत )  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 925 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हें निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती लक्ष्मी देवी, प्रवक्ता-हिन्दी	01.11.2005	डी0डी0कबाड़ी कन्या इं0का0सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर	कैलाश नाथ बालिका इं0का0 कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3686-3695

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

( रामचेत )

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



**कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 226

/2024-25 दिनांक 28 जून, 2024

**स्थानान्तरण आदेश**

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री कौशल किशोर कैनवाल, प्रवक्ता-अर्थशास्त्र	27.05.2005	जी0आर0वी0 इण्टर कालेज हमीरपुर	नेहरू विद्यालय इण्टर कालेज अरौल,कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3696-3705

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।



( रामचेत )

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ ११७ /2024-25 दिनांक १४ जून, 2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती कविता यादव, स0अ0-हिन्दी	26.09.2023	अमर शहीद इण्टर कालेज बेवर मैनपुरी	डी0ए0वी0 इण्टर कालेज सिविल लाइन्स कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3706-3715

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
(समचेत)  
उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

226

/2024-25 दिनांक

जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्री आशीष सिंह, स0अ0-गणित	01.12.2021	डी0पी0एस0 इण्टर कालेज मूसाखिरिया फर्रुखाबाद	एल0पी0इण्टर कालेज मालरोड कानपुरनगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3716-25

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियाँ सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
( श्रमचेत )

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 229 /2024-25 दिनांक 28 जून, 2024  
स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथारसंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
डॉ० सुचिता, प्रवक्ता-भूगोल	27.07.2020	श्री रूप नारायण सर्वहितकारी इ०का० बसन्तपुर घुघुली महराजगंज	जी०एन०के० इण्टर कालेज सिविल लाइन्स कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा०)  
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3726-35

/2024-25 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

  
( रामचेत )  
उप शिक्षा निदेशक(मा०-3)  
शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०,  
प्रयागराज।



कार्यालय शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आदेश संख्या:सामान्य(1)तृतीय/

230

/2024-25 दिनांक 26 जून, 2024

स्थानान्तरण आदेश

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधन) में विहित व्यवस्था एवं शासनादेश संख्या-840/15-05-2024-1600(169)/2018 दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ इण्टर कालेज के निम्नलिखित संस्था प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर रिक्त पद के प्रति उन्हे निजी व्यय पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है:-

नाम/पदनाम	नियुक्ति तिथि	कहाँ से	कहाँ को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
श्रीमती अनुराधा यादव, स0अ0-अंग्रेजी	08.02.2021	जनता इण्टर कालेज ककोर औरैया	एस0एन0सेन बालिका विद्यालय इं0का0 कानपुर नगर	रिक्त पद के प्रति

सुरेन्द्र कुमार तिवारी  
अपर शिक्षा निदेशक(मा0)  
उत्तर प्रदेश।

/2024-25 तददिनांक।

पृष्ठांकन संख्या:सामान्य(1)तृतीय/ 3736-45

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/ अध्यापक को तत्काल कार्यमुक्त कर स्थानान्तरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। कार्यमुक्त होने, कार्यभार ग्रहण करने की सूचना निदेशालय को तुरंत दी जाय। स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक की सेवापंजिका, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सम्बन्धित सेवा/शैक्षिक अभिलेख स्थानान्तरित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को पंजीकृत डाक द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भी सूचित करें। संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक को वही लाभ अनुमन्य होंगे, जो पूर्व संस्था में अनुमन्य थे। यदि प्रकरण में कोई भी तथ्य गोपन किया जाना प्रकाश में आता है, तो यह स्थानान्तरण आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा संबंधित के विरुद्ध विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस तथ्य की भी पुष्टि कर लें कि उक्त स्थानान्तरित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक का स्थानान्तरण आवेदन-पत्र उनके द्वारा संस्तुत है। उक्तानुसार अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी सर्व संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
- 3- संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त स्थानान्तरण आदेश का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से कराये जाने साथ ही किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में निदेशालय प्रयागराज से भौतिक सत्यापन कराये जाने के उपरान्त संबंधित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक के विषय में यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा संस्तुति के आधार पर ही स्थानान्तरण निर्गत है तथा प्रविष्टियों सही एवं विधिक है, तदोपरान्त ही वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- 4- संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
- 5- सम्बन्धित प्रधान/प्रवक्ता/अध्यापक।
- 6- गार्ड पत्रावली।

(रामचेत)

उप शिक्षा निदेशक(मा0-3)  
शिक्षा निदेशालय,उ0प्र0,  
प्रयागराज।